न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 06 / 2023

अध्यक्ष, वक्फ किरायेदार ईदगाह विकास समिति शहर भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

आदेश दिनांक 22.02.2023

अपीलार्थी अध्यक्ष, वक्फ किरायेदार ईदगाह विकास समिति शहर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपील में सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं किया गया है।

> "........अधिनियम के अंतर्गत केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। निगम, संघ, कम्पनी आदि वैध हस्तियों / व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते। अधिनियम ने ऐसे 'व्यक्ति' को सूचना प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है तो उसे सूचना दी जाएगी वशर्ते वह अपना पूरा नाम अंगित करे। ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है.....।"

चूँकि प्रस्तुत अपील में सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस अदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग जावहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर